260

उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

रे0मि0 अपील वाद सं0 01/2014–15

राम प्रसाद महतो ....अपीलकर्त्ता

बनाम

गोपीलाल मरांडी ....उत्तरकारी

।। आदेश ।।

24/05/2016

यह रे0मि0 अपील वाद सं0 01/2014–15 राम प्रसाद महतो बनाम् गोपीलाल मरांडी एवं अन्य मौजा लखियाडीह, अंचल मसिलया के बीच अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के पी0ए0 वाद सं0 358/2006–07 में पारित आदेश दिनांक 27.09.2013 के विरुद्ध दायर किया गया है।

मैने उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया।

अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा लखियाडीह प्रधानी मौजा है एवं किष्टो मरांडी मौजा के खतियानी प्रधान थे। उनके मृत्यु के पश्चात् मौजा खास है। अपीलकर्त्ता एवं अन्य द्वारा मौजा के प्रधान पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन निम्न न्यायालय में दाखिल किया गया। इस पर 16/– रैयतों को नोटिस निर्गत किया गया एवं अंचल अधिकारी से जांच प्रतिवेदन की मांग की गई। किन्तु निम्न न्यायालय द्वारा उनके आवेदन पर यह कहकर कार्रवाई समाप्त कर दिया कि प्रधान के वंशज के ओर से कोई आवेदन दाखिल नहीं किया गया है। इसके विरूद्ध में अपीलकर्त्ता द्वारा इस न्यायालय में रे0मि0 रिविजन वाद सं0 03/2009–10 दायर किया गया जिसमें तत्कालीन उपायुक्त ने अपने आदेश दिनांक 10.01.2012 द्वारा आदेश पारित किया गया जिसमें निम्न न्यायालय को आदेश दिया गया कि "मौजा के रैयत प्रधान चाहते है इसलिये धारा 05 के तहत् सभी पक्षों को सुनकर विधिवत आदेश पारित किया जाय।"

इस आदेश के आलोक में निम्न न्यायालय में कार्रवाई के दौरान उत्तरकारी द्वारा प्रधान की नियुक्ति हेतु धारा 06 के अन्तर्गत आवेदन दाखिल किया गया एवं उत्तरकारी को मौजा का प्रधान धारा 06 के अन्तर्गत नियुक्त किया गया है।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि उपायुक्त के न्यायालय द्वारा धारा 05 के अन्तर्गत कार्रवाई हेतु आदेश पारित किया गया है किन्तु मौजा काफी समय से खास रहने के बाबजूद भी गैंजर प्रधान के वंशज को प्रधान बनाया गया है जो न्यायसंगत नहीं है। अतः निम्न न्यायालय के आदेश को विलोपित किया जाय तथा अपील आवेदन को स्वीकृत किया जाय।

उत्तरकारी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि उत्तरकारी के दादा मौजा के अंतिम प्रधान थे। अतः उनका दावा धारा 06 के अन्तर्गत बनता हैं अतः निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश सही है।

उपलब्ध कागजातों से स्पष्ट है कि तत्कालीन उपायुक्त द्वारा रे०मि० रिविजन वाद सं० 03/2009–10 में आदेश दिनांक 10.01.2012 द्वारा निम्न न्यायालय को धारा 05 के अन्तर्गत प्रधान नियुक्ति का आदेश दिये जाने के पश्चात भी निम्न न्यायालय द्वारा मौजा के प्रधान पद पर सं०प० काश्तकारी अधिनियम के धारा 06 के अन्तर्गत उत्तरकारी को नियुक्त किया गया है जो न्यायसंगत नहीं है। अतः निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को विलोपित किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि तत्कालीन उपायुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.01.2012 के आलोक में धारा 05 के अन्तर्गत मौजा का प्रधान नियुक्त किया जाय।

लेखापित एवं संशोधित ।

Rahul
उपायुक्त,
दुमका।

Rahul
उपायुक्त,
दुमका।